

चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013

प्रलिस के लिये:

[चुनावी ट्रस्ट योजना](#), [चुनावी बॉण्ड](#), [राजनीतिक दल](#), [लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#)

मेन्स के लिये:

चुनाव प्रक्रिया पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना को चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

- वर्ष 2018 में [चुनावी बॉण्ड \(EB\) योजना](#) की शुरुआत से पहले चुनावी फंडिंग के लिये एक और योजना जिसे [इलेक्टोरल ट्रस्ट \(ET\)](#) योजना कहा जाता है, वर्ष 2013 में शुरू की गई थी।

चुनावी ट्रस्ट योजना क्या है?

परिचय:

- चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- चुनावी ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका [एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है।](#)
- सर्फ [कंपनी अधनियम, 1956 की धारा 25](#) के तहत पंजीकृत कंपनियों ही चुनावी ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लिये आवेदन करने हेतु पात्र हैं। चुनावी ट्रस्टों को [हर तीन वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होता है।](#)
- यह योजना एक चुनावी ट्रस्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया तय करती है जो स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करेगा और उसे राजनीतिक दलों में वितरित करेगा।
- चुनावी ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान [आयकर अधनियम, 1961](#) और [आयकर नियम-1962](#) के तहत हैं।

चुनावी ट्रस्ट में योगदान:

- वे इनसे योगदान प्राप्त कर सकते हैं:
 - एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है।
 - भारत में पंजीकृत एक कंपनी।
 - भारत में नविसी एक फर्म या हट्टि अवभाजति परिवार या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक नकिया।
- वे इनसे योगदान स्वीकार नहीं करेंगे:
 - एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या किसी वदेशी संस्था से है चाहे वह नगिमति हो या नहीं;
 - योजना के तहत पंजीकृत कोई अन्य चुनावी ट्रस्ट।

धन के वितरण के लिये तंत्र:

- प्रशासनिक खर्चों के लिये चुनावी ट्रस्टों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र किये गए कुल धन का अधिकतम 5% अलग रखने की अनुमति है।
 - ट्रस्टों की कुल आय का शेष 95% पात्र राजनीतिक दलों को वितरित किया जाना आवश्यक है।

◦ [लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#) के तहत पंजीकृत पार्टियों योगदान प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

- चुनावी ट्रस्ट को प्राप्तियों, वितरण और दाताओं तथा प्राप्तकर्ताओं की सूची के विवरण सहित खाते बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

चुनावी ट्रस्टों के खातों की लेखापरीक्षा:

- प्रत्येक चुनावी ट्रस्ट को अपने खातों का लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा करवाना और **लेखापरीक्षा रिपोर्ट आयकर आयुक्त** या आयकर नदिशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चुनावी बॉण्ड क्या हैं?

- **चुनावी बॉण्ड** राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है।
- बॉण्ड **1 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए** के गुणकों में बना किसी अधिकतम सीमा के जारी किये जाते हैं।
- **भारतीय स्टेट बैंक** इन बॉण्डों को **जारी करने और नकदीकरण के लिये अधिकृत** है, जो जारी होने की तारीख से **पंद्रह दिनों के लिये वैध** हैं।
- ये बॉण्ड पंजीकृत राजनीतिक दल के नरिदषिट खाते में नकदीकृत किये जा सकते हैं।
- बॉण्ड केंद्र सरकार द्वारा नरिदषिट **जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक में दस दिनों की अवधि के लिये** किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है या भारत में नगिमति या स्थापति है) द्वारा **खरीद के लिये उपलब्ध** हैं।
- एक व्यक्ति व्यक्तिगत या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
- बॉण्ड पर **प्रदाता का नाम अंकित नहीं** होता है।

चुनावी ट्रस्ट योजना चुनावी बॉण्ड योजना से किस प्रकार भिन्न है?

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
 - **ET की कार्यप्रणाली को पारदर्शिता के कारण ही पहचान मिली है**, क्योंकि इसके अंतर्गत योगदानकर्त्ताओं और लाभार्थियों की पहचान का खुलासा किया जाता है।
 - चुनावी ट्रस्ट योजना के अंतर्गत एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाता है जिसकी वसित्त वार्षिक योगदान रिपोर्ट **भारतीय नरिचाचन आयोग (ECI)** को प्रस्तुत की जाती है। यह कार्यप्रणाली अनुदान और उनके आवंटन का व्यापक रिकॉर्ड सुनिश्चिती करती है।
 - वहीं दूसरी ओर, **EB योजना में पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है**।
 - दानदाताओं की **पहचान के अभाव के कारण** वित्तपोषण की प्रक्रिया में एक अपारदर्शी वातावरण का नरिमाण होता है, जिससे प्राप्त योगदान के स्रोत का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **फंडिंग रुझान (2013-14 से 2021-22):**
 - नौ वित्तीय वर्षों (2013-14 से 2021-22) के आंकड़ों से पता चलता है कि **EB की शुरुआत के बाद दो सरकारी योजनाओं के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग बढ़ गई**, जिसमें **बड़ी मात्रा में डोनेशन EB योजना के माध्यम से** आया।
 - वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को ET के जरिये कुल 1,631 करोड़ रुपए मिले, जबकि EB के जरिये उन्होंने कुल 9,208 करोड़ रुपए का चंदा एकत्रित किया।
- **राजनीतिक दल की रसीदें:**
 - **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफिॉरमस (ADR)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक एकल राजनीतिक दल ने वर्ष 2021-22 में ET द्वारा दिये गए कुल दान का 72% और वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक EB के माध्यम से 57% फंडिंग हासिल की है।
 - रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राजनीतिक दलों को **55% से अधिक फंडिंग EB के माध्यम से** आती है।

और पढ़ें... [चुनावी बॉण्ड मामला](#)